संख्या-43/2025/815/22-4-2025-1966520

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 30 सितम्बर, 2025

विषय- गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण परियोजना के अन्तर्गत अनुदानित धनराशि रू0 900.00 लाख से कारागारों हेतु 346 नग वीडियो कान्फ्रेसिंग यूनिट एवं बन्दियों के लिए काउन्सलर की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34655/आधु-1/के0पु0योजना/84/21-26, दिनांक 02.09.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु कम्प्यूटर इकाईयों मय यूपीएस, प्रिन्टर/स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर, हेडफोन विद माईक, क्यूविकल एवं मनोचिकित्सक (कान्सलर) की व्यवस्था हेतु गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानित धनराशि रू० 900.00 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की कारागारों में वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु कम्प्यूटर इकाईयों मय यूपीएस, प्रिन्टर/स्कैनर, वेबकैम, स्पीकर, हेडफोन विद माईक, क्यूविकल एवं मनोचिकित्सक (कान्सलर) की व्यवस्था के दृष्टिगत भारत सरकार से प्राप्त अनुदानित धनराशि **रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा प्रस्तावित उपकरणों के क्रयार्थ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा। इस संबंध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब प्रस्तावित उपकरणों आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) महानिरीक्षक कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित क्रयार्थ उपकरणों के मेक/मॉडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक कारागार क्रयार्थ उपकरणों की गुणवत्ता/उपयोगिता तथा समयान्तर्गत आपूर्ति के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेगें।

(5) क्रयार्थ उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नहीं किया जायेगा।

(6) महानिरीक्षक कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) महानिरीक्षक कारागार प्रश्नगत प्रायोजन हेतु वहन की जाने वाली धनराशि के सुसंगत लेखाशीर्ष की शुद्धता के संबंध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

(8) महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 की अशासकीय संख्या-E-12-309-X-2025-26, दिनांक: 30.09.2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-43/2025/815/22-4-2025-1966520-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) उप सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (PR&ATC), नई दिल्ली।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।